लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / विद्या / व्ही / 05 / 2011 / 540 भोपाल दिनांक 11/07/2011

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय– सुपर–50 योजना अन्तर्गत विद्यार्थियों को भोपाल भेजने विषयक।

संदर्भ– संचालनालय लोक शिक्षण का पत्र क्रमांक विद्या / व्ही / 05 / 2011 / 362 दि0 03.06.11

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें तदनुसार आपके द्वारा जिले में तीन विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया होगा। आगामी कार्यवाही के संबंध में अन्य निर्देश निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिला अंतर्गत शासकीय विद्यालय में कक्षा 10 वी में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो में से ही क्रमानुसार विद्यार्थी का चयन किया गया है। यदि चयन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिये संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगतरूप से उत्तरंदायी होगें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व में जिन चयनित नामों की सूची संचालनालय को भेजी है यदि उसमें कोई संशोधन अपेक्षित हो तो संशोधन करते हुए नवीन सूची तत्काल संचालनालय को व्यक्तिशः भेजना सुनिश्चित करें।
3. चयनित विद्यार्थियों ओर उनके अभिभावकों को समक्ष में बुलाकर यह अवगत करा दिया जाये कि ये विद्यार्थी कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं में भोपाल रहकर अध्ययन करेंगे । यदि अन्तिम क्षणों में कोई विद्यार्थी भोपाल आने से मना करता है तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थी को अवसर दिया जाये ।
4. **चयन किये गये विद्याथियों की उपस्थिति दिनांक 19 जुलाई 2011 (मंगलवार) को शास0 सुभाष उत्कृष्ट उ0मा0वि0 शिवाजी नगर भोपाल में सुनिश्चित की जाये।**
5. जिले के तीनों विद्यार्थी उक्त तिथि को अनिवार्य रूप से भोपाल में उपस्थित होंगे। विद्यार्थी स्वयं के व्यय पर भोपाल उपस्थित होंगे, यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. चयनित विद्यार्थियों को निर्देशित करें कि वे अपने साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुऐं (यथा लोटा, ग्लास, टार्च, मौसम के अनुरूप पहनने के वस्त्र, तथा पूर्व में अध्ययनरत संस्था में लागू गणवेश, आदि) साथ लेकर आयें। उक्त सामग्री के अतिरिक्त कक्षा 10 वीं की मूल अंक सूची, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र,

तथा आयुक्त लोक शिक्षण का चयनित विद्यार्थी के नाम पत्र साथ लेकर आयें। आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संलग्न है इसे पूर्ण रूप से भरने के बाद विद्यार्थी को उपलब्ध करायें।

7. भोपाल में उपस्थित होने के बाद विद्यार्थियों को सामान लाने के नाम से कोई अवकाश नही दिया जावेगा। अतः पूर्ण तैयारी के साथ उन्हें भोपाल पहुँचने हेतु निर्देशित करें।
8. सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के चयनित तीनों विद्यार्थियों को संलग्न प्रारूप के अनुसार अपने कार्यालय से एक अधिकार पत्र दें जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि संबंधित विद्यार्थी का चयन सुपर–50 योजना हेतु गणित/जीवविज्ञान/वाणिज्य विषय के लिये किया गया है । **बिना अधिकार पत्र के किसी भी विद्यार्थी को भोपाल में कक्षा 11वीं में प्रवेश का अधिकार नही दिया जायेगा। अधिकार पत्र के साथ विद्यार्थियों को आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न निर्देश पत्र भी उपलब्ध करायें।**

उक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ0मा0वि0 शिवाजी नगर भोपाल के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेश तिवारी से उनके दूरभाष क्रमांक 9826623335 पर संपर्क करें।

संलग्न :–

1. विद्यार्थियों को दिया जाने वाला अधिकार पत्र का प्रारूप तथा निर्देश
2. विद्यार्थी के नाम आयुक्त का पत्र

11.7.11

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/विद्या/व्ही/05/2011/541 भोपाल दिनांक 11/07/2011

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक मान. मंत्री जी/मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा।
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त आदिवासी विकास सतपुडा भवन भोपाल।
4. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल म. प्र. भोपाल
5. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म. प्र.
7. प्राचार्य शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उमावि. शिवाजी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

चयनित विद्यार्थियों के लिए "सुपर 50" कार्यक्रम हेतु निर्देश

1. चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उमावि. शिवाजी नगर भोपाल में प्रवेश दिलाया जायेगा। नियमित अध्ययन के साथ उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इसप्रकार चयनित विद्यार्थियों को दो वर्ष तक भोपाल में रहकर अध्ययन करना होगा। शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

2. सर्वप्रथम चयनित विद्यार्थी अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से अपने चयन के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त कर लें। अधिकार पत्र के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

3. चयनित विद्यार्थियों को दिनांक 19 जुलाई 2011 (मंगलवार) को शास0 सुभाष उत्कृष्ट उ0मा0वि0 शिवाजी नगर भोपाल में उपस्थित होना है। विद्यार्थी उक्त तिथि को अनिवार्य रूप से भोपाल में उपस्थित होंगे। यह यात्रा स्वयं के व्यय पर की जायेगी।

4. चयनित विद्यार्थी अपने साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुऐं (यथा लोटा, ग्लास, टार्च, मौसम के अनुरूप पहनने के वस्त्र, तथा पूर्व में अध्ययनरत संस्था में लागू गणवेश, आदि) साथ लेकर आयें। उक्त सामग्री के अतिरिक्त कक्षा 10 वीं की मूल अंक सूची, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र भी साथ लायें।

5. शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम अत्यधिक व्यस्ततापूर्ण होगा तथा भोपाल में उपस्थित होने के बाद तत्काल कोई अवकाश दिया जाना संभव नहीं होगा। अतः पूर्ण तैयारी के साथ भोपाल पहुँचें।

6. भोपाल स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ0मा0वि0 शिवाजी नगर भोपाल के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेश तिवारी से उनके मोबाइल क्रमांक 9826623335 पर संपर्क करें ।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनित विद्यार्थी को दिया जाने वाला अधिकार पत्र

अधिकार–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु.. पिता का नाम... अध्ययरत संस्था.. जिला................... का चयन सुपर 50 योजना अंतर्गत कक्षा 11वीं में .... विषय के लिए किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला...
नाम ....
मोबाइल नं. ....

अशोक बर्णवाल
भा.प्र.से.
आयुक्त

अर्द्ध शास. पत्र क्र. विद्या/स्टी/540
दूरभाष आफिस : 0755 - 2583653
फैक्स : 0755 - 2583651
ई–मेल : cpibhop@mp.nic.in

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन
गौतम नगर, भोपाल – 462023

प्रिय श्री / कु..............................

दिनांक 11-07-2011

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय स्कूलों से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थानों – आई.आई.टी. / मेडिकल कॉलेज / सी.ए. पाठ्यक्रम आदि में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शिक्षण सत्र 2011–12 से सुपर 50 योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 150 विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अध्ययन के साथ–साथ व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के चयनित 150 विद्यार्थियों में आपका भी चयन किया गया है, इस हेतु हमारी ओर से हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं !

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्यप्रदेश शासन की इस योजना को साकार करने के लिए आप अपनी पूरी दक्षता के साथ प्रयास करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।

भविष्य की शुभकामनाओं सहित

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

प्रति

....
....
....